प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक 10.03.2019

लोकसभा सामान्य निर्वाचन - 2019 के अंतर्गत निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण के अंतर्गत निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान व्यक्तियों एवं सामान की तलाशी और जांच करने के संबंध में सभी नियमों और प्रक्रियाओं को सख्ती से लागू किया जाएगा।

वाणिज्यिक हवाई अड्डों का एयर ट्रेफिक कंट्रोल चार्टड विमानों या हैलिकॉप्टरों की ट्रेवल प्लान के बारे में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय और उस जिले के जिला निर्वाचन अधिकारी को सूचित करेगा, जिसमें हवाई अड्डा स्थित है। व्यक्तियों/यात्रियों के सभी सामानों जिनमें हैंड बेगेज शामिल हैं, की जाँच की जावेगी। विमानों के सामान से दस लाख रूपये से अधिक की नगदी या एक किलोग्राम अधिक वजन के सोना चाँदी का पता लगने पर सीआईएसएफ या क्षेत्र के पुलिस अधिकारी तत्काल आयकर विभाग को सूचना देंगे।

गैर वाणिज्यिक हवाई अड्डों/हैलीपेडों में अभ्यर्थी द्वारा या राजनैतिक दल द्वारा संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी को ट्रेवल प्लान, जिले में लैण्ड करने के स्थान और विमानों/हैलीकॉप्टरों के यात्रियों के नामों का उल्लेख करते हुए लैण्ड करने से पूर्व जिला निर्वाचन अधिकारी को आवेदन देंगे।

वाणिज्यिक एवं गैर वाणिज्यिक हवाई अड्डों/हैलीपेडों पर विमानों की जाँच के संबंध में पुलिस विभाग, आयकर विभाग, सीआईएसएफ, विमानपत्तन विभाग को निर्देश जारी किए गए हैं।